प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 15.02.2026

- **थाना रूरा पुलिस व दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्यवाही से एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त को अवैध मादक पदार्थ के साथ किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 714 ग्राम अवैध चरस बरामद ।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना रुरा पुलिस द्वारा एन्टी नारकोटिक्स टीम, दिल्ली पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए थाना सेक्टर 23, द्वारका, नई दिल्ली में पंजीकृत मु0अ0सं0 45/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मिथलेश कुमार वाजपेई पुत्र स्व0 राम भूषण निवासी ग्राम भटौली, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात को उसके घर से 714 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि एण्टी नारकोटिक्स सेल, (द्वारका, दिल्ली पुलिस) द्वारा अभियुक्त मयंक पुत्र अरविन्द सिंह निवासी ग्राम पाल नगर, थाना किशनी, जनपद मैनपुरी व हाल पता गली नम्बर 4, झनकार रोड, गोयला डेयरी, थाना छावला, नई दिल्ली के कब्जे से बरामद हुई 249 ग्राम अवैध चरस के आधार पर दिनांक 14.02.2026 को थाना सेक्टर 23, द्वारका, दिल्ली में मु0अ0सं0 45/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम मयंक पुत्र अरविन्द सिंह उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के क्रम में अभियुक्त मिथलेश कुमार वाजपेई पुत्र स्व0 राम भूषण निवासी ग्राम भटौली, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात का नाम प्रकाश में आया, जिसके आधार पर आज दिनांक 15.02.2026 को थाना रूरा पुलिस व दिल्ली पुलिस के संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त मिथलेश कुमार बाजपेई पुत्र स्व0 राम भूषण निवासी ग्राम भटौली, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात को उसके घर से 714 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध दिल्ली पुलिस टीम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर सम्बन्धित माननीय न्यायालय में पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता-

मिथलेश कुमार बाजपेई पुत्र स्व0 राम भूषण निवासी ग्राम भटौली, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात उम्र लगभग 58 वर्ष।

बरामदगी-

714 ग्राम अवैध चरस

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 465/2018 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 486/2019 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 45/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना सेक्टर 23, द्वारका, नई दिल्ली।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना रूरा पुलिस व एन्टी नारकोटिक्स सेल, द्वारका, नई दिल्ली